हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सप्तम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 57

सोमवार, 8 **दिसम्बर**, 2014/17 **अग्रहायण**,1936 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय 2.00 **बजे** (**अपराह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

02.02.16 P.M.

1. **प्रश्नोत्तर:**

तारांकित प्रश्न:

तारांकित प्रश्न संख्या 1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352 और 1353 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मं त्रियों द्वारा उत्तर दिए गए । तारांकित प्रश्न संख्या 13 54 से 13 60 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे समझे गए।

03.01.16 P.M.

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार,दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे सदन को अवगत करवाया।

03.02.04P.M.

3. **सभा पटल पर रखे गए कागजात:**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5;

(ii) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) अट्ठाईसवां अमेंडमेंट रेगुलेशनज़, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)ए(3)2/2014 दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001 दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन की बाबत अधिसूचना के पैरा 2 का संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I(राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्ति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ए0-ख(3)5/1999-लूज-III दिनांक 24.07.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2014 को प्रकाशित; और

(ix) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम , 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम , 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री जी0एस0 बाली**, **खाद्य**, **नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2010-11;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2011-12;

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का

वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2012-13; और

(iv) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया , बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि , औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम , 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक परीक्षित लेखा, वर्ष 2008-09;

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि , औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम , 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;

(iii) हिमाचल प्रदेश कृषि , औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम , 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;

(iv) हिमाचल प्रदेश कृषि , औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम , 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2008-09; और

(v) हिमाचल प्रदेश कृषि , औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम , 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2009-10 ।

(4) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग,मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित)

भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः- फिश-ए(3)-7/2005 दिनांक 01.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.11.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

03.03.47P.M.

व्यवस्था का प्रश्न:-

1. श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने 5 दिसम्बर,2014 को नियम 67 के अंतर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में 06 दिसम्बर, 2014 को अध्यक्षपीठ द्वारा दी गई व्यवस्था एवं उसी सम्ब्न्ध में आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का उल्लेख किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि वह कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें और इस विषय पर चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि विपक्ष को तथ्य जानने का पूरा अधिकार है। श्री रविन्द्र सिंह ने उनका समर्थन किया और अध्यक्ष महोदय से पुनः अनुरोध किया कि उन्होंने जो Pen Drive और C.D. का सदन में जिक्र किया था, उसे सदन में दिखाकर विषय पर निर्णय लिया जाए।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि " हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 69 (5) में प्रावधान है कि The motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same Session. चूंकि जंगलों के अवैध कटान के विषय पर नियम 130 के अंतर्गत दिनांक 5 दिसम्बर,2014 को चर्चा हो चुकी है और मा0 मुख्य मंत्री एवं वन मंत्री जी विस्तृत उत्तर दे चुके हैं, इसलिए इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।"

तत्पश्चात, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई कि अध्यक्षपीठ का निर्णय सही है लेकिन जंगलों के अवैध कटान के संबंध में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई Judgement का भी हवाला दिया। प्रो0 धूमल द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि दुर्लभ परिंदों के अण्डों में सुईयां चुभोई जा रही हैं जिसके कारण ऐसे परिंदों की प्रजाति समाप्त होने का अंदेशा है। उन्होंने यह भी अनुरोध

किया कि श्री रविन्द्र सिंह द्वारा दी गई C.D. को सभा में दिखाया जाए ताकि विषय की गंभीरता का संज्ञान लिया जा सके।

इस पर मा0 मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष सरकार को थोड़ा समय दे, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि " मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के दृष्टिगत मैं विपक्ष से धैर्य रखने की अपेक्षा करता हूं क्योंकि सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया जा चुका है । जहां तक श्री रविन्द्र सिंह जी के Pen Drive और C.D. का सम्बन्ध है, वे मुझे नहीं दी गईं ; जब वह इन्हें सभा पटल पर रखेंगे उसके पश्चात उन्हें देखकर मैं अगला निर्णय दे पाऊंगा। "

03.38.23 P.M.

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

   (i) समिति का 64**वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है;

   (ii) समिति का 65**वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

   (iii) समिति का 66**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 253वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

   (iv) समिति का 67**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 223वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान

सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 68**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का 69**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है।

2. **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति**(**वर्ष** 2014-15)**ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 25**वां मूल प्रतिवेदन** (**वर्ष** 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:4.12 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 26**वां मूल प्रतिवेदन** (**वर्ष** 2014-15), जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 200 6-07(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या: 2.1 पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम** से सम्बन्धित है।

3. **श्री संजय रतन , सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति** , (**वर्ष** 2014-15)**ने** समिति का **नवम कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन्य जीवन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

<u>03.40.30P.M.</u>

5. **<u>विधायी कार्य</u> :**

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7)को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 **का विधेयक संख्यांक** 7) **पुर: स्थापित हुआ।**

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) को पुर :स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 **का विधेयक संख्यांक** 9) **पुर:स्थापित हुआ।**

(iii) **श्री जी0एस0 बाली0, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) को पुर :स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक,2014 (2014 **का विधेयक संख्यांक** 13) **पुर:स्थापित हुआ।**

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 (2014 **का विधेयक संख्यांक** 8) **पुरःस्थापित हुआ।**

(v) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 **का विधेयक संख्यांक** 11) **पुरःस्थापित हुआ।**

(vi) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12) **पुरःस्थापित हुआ।**

03.48.01 P.M.

6. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :**

श्री महेश्वर सिंह ने नियम 130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव किया तथा चर्चा की :-

" प्रदेश में बन्दरों, आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(03.50.00 **बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. श्री कुलदीप कुमार
3. श्री वीरेन्द्र कंवर
4. श्री बलबीर सिंह वर्मा
5. श्री सतपाल सिंह सत्ती
6. श्री जगजीवन पाल
7. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
8. श्री किशोरी लाल
9. डा0 राजीव सैजल

(05-51-18 **बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

10. श्री बिक्रम सिंह जरयाल

माननीय वन मंत्री ने उत्तर दिया।
माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय पर सरकार द्वारा बनाई जा रही ठोस नीति की जानकारी दिए जाने बारे पूछने पर माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया एवं चर्चा का विस्तृत उत्तर दिया।

सदन की बैठक अपराह्न 06.36.13 **बजे मंगलवार, दिनांक** 9 **दिसम्बर,** 2014 **के पूर्वाह्न** 11.00 **बजे तक स्थगित हुई।**